समक्ष माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

निग. -658-II-16

1— हरिवंश प्रसाद पिता रामानुज ब्रा0

2— रामभिलाष पिता रामानुज ब्रा0

3— रामदरश पिता रामानुज ब्रा0

सभी निवासी—ग्राम घुरेहटाकला, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

..................निगरानीकर्तागण

बनाम

रामहर्ष तनय रामानुज ब्रा0, निवासी—ग्राम घुरेहटाकला, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

..............गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध की गयी नक्शा तरमीम कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त मऊगंज, तहसील मऊगंज, दिनांक 10/06/2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं—

1— यह कि ग्राम घुरेहटाकला स्थित आ0ख0क्र0 2584/1 व 2849/1 आवेदकगण एवं अनावेदक की पैतृक भूमियां हैं, जिन भूमियों का विभाजन आवेदकगण और अनावेदक के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय मऊगंज के राजस्व प्रकरण क्र0—42अ/27/2000—01 आदेश दिनांक 01/02/2001 के द्वारा करा दिया गया था और मुताबिक विभाजन पुल्ली आवेदकगण एवं अनावेदक

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R658-II/16 ...... जिला रीवा ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	(1) मैंने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। (2) तीनों आवेदक एवं अनावेदक भाई हैं, तथा ग्राम धुरेहटाकला की आ. क्र. - 2584/1,1क,1ख,1ग व 2849/1,1क,1ख,1ग उन्हें बटवारे के बाद इन चारों की पैतृक भूमि के विभाजन के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है। (3) आवेदकगण का कहना है कि अनावेदक द्वारा उसके बटांकों की नक्शे पर तरमीम पटवारी एवं रा. नि. के स्तर से बगैर उन्हें सूचना एवं सुनवाई के अवसर के करा ली गई है जो अनुपयुक्त होकर निरस्त किए जाने योग्य है। (4) मेमो के साथ आवेदकों द्वारा संबंधित नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दि. 28.1.16 पेश की गई है, जिसमें "पटवारी द्वारा पेंसिली लाल स्याही से तरमीम किया" जाने और पटवारी तथा रा. नि. के हस्ताक्षर होने का लेख है। इससे, यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि नक्शे पर बटांकों की यह तरमीम तहसीलदार, जो कि MPLRC की धारा-70 के अन्तर्गत बटांकों की नक्शे पर तरमीम करने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के लिए सक्षम अधिकारी हैं, के आदेश से नहीं हुई है, जैसा कि निगरानी मेमो में आवेदकगण द्वारा लिखा गया है। (5) उपरोक्त के प्रकाश में मैं तहसीलदार, मऊगंज, जिला रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे ग्राम घुरेहटाकलां के उक्त बटांकों 2584/1, 1क, 1ख, 1घ एवं 2849/1 1क, 1ख, 1घ की राजस्व नक्शे पर हुई तरमीम से संबंधित अभिलेख अपने न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्र. सहित खोलें, और उभयपक्ष के पक्षकारों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए यह देखें कि (एक) क्या पूर्व की तरमीम संहिता के प्रावधानों के अनुसार सक्षम आदेश से हुई है या नहीं, और (दो) क्या बटवारे से संबंधित उक्त पैतृक भूमि के समस्त बटांक-धारियों को, उभयपक्ष के पक्षकारों एवं समस्त हितबद्ध व्यक्तियों सहित, उक्त तरमीम के पूर्व सूचना एवं सुनवाई का अवसर मिला है या नहीं। (6) यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर तहसीलदार यह पाते हैं कि	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.658-II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पूर्ववर्ती पैरा के बिन्दु (एक) एवं / अथवा (दो) का उत्तर नकारात्मक, यानि 'नहीं' है, तो वे अपने स्तर से नए सिरे से, बटवारे से संबंधित उक्त पैतृक भूमि के समस्त बटांक-धारियों को, उभयपक्ष के पक्षकारों एवं समस्त हितबद्ध व्यक्तियों सहित, सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए और मौके की स्थिति की जानकारी लेते हुए, विधिवत उक्त बटांकों की राजस्व नक्शे पर तरमीम के संबंध में आदेश पारित करें। तहसीलदार, अपना ऐसा आदेश, उन्हें रा.मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 2 माह के भीतर पारित करें। तहसीलदार द्वारा पूर्ववर्ती पैरा (5) के बिन्दु (एक) एवं (दो) पर यदि सकारात्मक, यानि 'हाँ' में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद बोलते स्वरूप में ही उनके द्वारा अभिलिखित किये जाएंगे, तो वैसी स्थिति में पूर्व की नक्शा तरमीम	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यथावत रहेगी। पूर्ववर्ती पैरा (5) के (एक) या (दो) किसी पर भी निष्कर्ष नकारात्मक होने की स्थिति में पूर्व की तरमीम स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी। (7) उभयपक्ष के पक्षकारों को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वे, उन्हें रा. मं. के इस आदेश की संसूचना के 1 सप्ताह के भीतर, या तहसीलदार के सूचनापत्र में लिखी दिनांक को, जो भी पहले हो, तहसीलदार - मऊगंज के समक्ष अपने पक्षसमर्थन हेतु उपस्थित हों, और आगे भी नियत दिनांकों पर आवश्यक रूप से उपस्थित होते रहें, ताकि तहसीलदार उनके पक्षों को सुनते हुए, दो माह की तय समयसीमा में प्रकरण का अंतिम निराकरण कर पाएं। यदि पक्षकार ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें योग्य अवसर देने के बाद तहसीलदार प्रकरण में कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु मुक्त होंगे। (8) इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है। पक्षकारगण एवं तहसीलदार, मऊगंज सूचित हों। आदेश पारित। प्रकरण दा.द. हो। (सदस्य)	